सं. ओ.वि./अम्बाला/99-85/35004.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. आफिसर इन्चार्ज, सैन्ट्रल सोयल एण्ड वाटर कन्जरवेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट, रिसर्च सैन्टर, सैक्टर-27, चण्डीगढ़ (2) सीनियर टैक्नीकल असिसटैंट सैन्टर सोयल एण्ड वाटर कन्जरवेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट, रिसर्च फार्म मन्सा देवी, पो. आ. मनीमाजरा, जिला अम्बाला के श्रमिक श्री करतार सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री करतार सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./अम्बाला/106-85/35011.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. 1. आफिसर इन्चार्ज, सैन्ट्रल सोयल एण्ड वाटर कंजरवेशन रिसर्च एन्ड ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट, रिजर्व सैन्टर, सैक्टर-27, चण्डीगढ़, 2 सीनियर टैक्नीकल असिसटैन्ट, सैन्टर सोयल एन्ड वाटर कंजरवेशन रिसर्च एन्ड ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट रिसर्च फार्म मन्सा देवी, पो. आ. मनिमाजरा, जिला अम्बाला, के श्रमिक श्री दया राम तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एंव पंचाट तीन मास मे देने के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : —

क्या श्री दया राम की सेवाओं का समाधान न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./अम्बाला/126-85/35018.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. 1. आफिसर इन्चार्ज, सैन्ट्रल सोयल एन्ड वाटर कंजरवेशन रिसर्च एन्ड ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट, रिसर्च सैन्टर, सैक्टर-27, चण्डीगढ़, 2. सीनियर टैक्नीकल असिसटैंट, सैंटल सोयल एन्ड वाटर कंजरवेशन रिसर्च एन्ड ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट, रिसर्च फार्म मन्सा देवी, पो. आ. मनिमाजरा, जिला अम्बाला, के श्रमिक श्री सुख लाल तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला की विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एंव पंचाट तीन मास में देने के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री सुख लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं.ओ.वि./अम्बाला/104-85/35025.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. 1. आफिसर इन्चार्ज, सैन्ट्रल सोयल एन्ड वाटर कंजरवेशन रिसर्च एन्ड ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट, रिसर्च सैन्टर, सैक्टर-27, चण्डीगढ़, 2. सीनियर टैक्नीकल असिसटैन्ट, सैन्ट्रल सोयल एन्ड वाटर कंजरवेशन रिसर्च एन्ड ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट रिसर्च फार्म, मन्सा देवी, पो. आ. मनिमाजरा, जिला अम्बाला, के श्रमिक श्री बलबीर तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एंव पंचाट तीन मास में देने के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री बलबीर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?